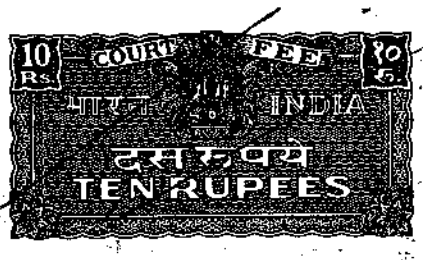

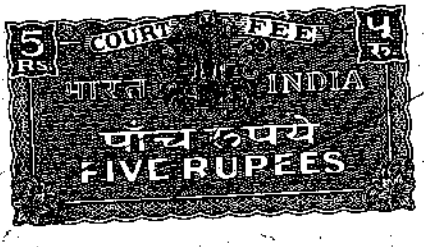

126

न्यायालय - श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

राजस्व पुनराविलोकन क्र0 /2003

1257-III/03

अनुविभागीय अधिकारी /अति0 तहसीलदार
लोक निमार्ण विभाग, उप संभाग क्र.-3,
संभाग क्र. -1 , जबलपुर ॥म0प्र0॥ -------- आवेदक

विरुद्ध

रविन्द्र सिंह सेठी, पुत्र स्व श्री तेजवन्त सिंह सेठी
निवासी- 17/1 नर्मदा रोड, जबलपुर --------अनावेदक

पुनराविलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959

आवेदक न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष श्रीमान सी.एल. अड़में सदस्य द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 797-तीन/2000 पक्षकार- रविन्द्र सिंह सेठी विरुद्ध एस.जुनजानी, अनुविभागीय अधि./अति. तहसीलदार के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13/5/2003 से व्यथित हो पुनराविलोकन याचिका प्रस्तुत कर रहा है :-

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन करता है:-

॥1॥ यह कि उपरोक्त मामले की मूल निगरानी अनावेदक रविन्द्र सिंह सेठी द्वारा पेश की गई थी जिसके अनुसार उनका कहना था कि दिनांक 23/9/2001 को माननीय अध्यक्ष श्रीमान सी.एस. चड्डा, न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा पारित आदेश का पालन आवेदक द्वारा नही किया गया है ।तथा उक्त आदेश की आवेदक द्वारा लगातार पालन न करने पर माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की निगरानी अनावेदक रविन्द्र सिंह सेठी द्वारा पेश की गई थी । जिस पर आवेदक के पक्ष मे उक्त निगरानी प्रकरण मे न्यायालय श्रीमान सी.एल.अड़में,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1257–तीन/03 **जिला –जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19.5.16	आवेदक शासन की ओर से श्री बी0 एन0 त्यागी पैनल अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। 2– आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग संभाग कमांक–3 द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत आवेदन की कंडिका 1 से 8 तक अवलोकन एवं वारीकी से अध्ययन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि मूल निगरानी प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.9.2001 को सही ढंग से पढ़ने एवं समझने का प्रयास नहीं किया गया है। उक्त निगरानी प्रकरण कमांक 797–तीन/2000 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित आदेश में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा	

अपीलार्थी को उसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धरा 248 के तहत संस्थित प्रकरण कमांक 1/अ–68/1998–99 में उसे गलत ढंग से ये हिदायत दी गई कि वह अपने आप को निर्दोश सिद्व करें जबकि संहिता के प्रावधानों में नियमानुसार कार्यवाही के तहत सबूत भार की जबाव देही अभियोजन पक्ष पर होती है। मान0 अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी टिप्पणी की गई है कि अधीनस्थ न्यायालयों को कानून का समान्य ज्ञान भी नहीं है जिसमें आवेदक की कार्यवाही भी शामिल है । आवेदक अपने आवेदन में कोई भी ऐसे अभिलेख/दस्तावेज अथवा प्रश्न विशेष का उल्लेख नहीं किया है जिस पर सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा विचारण नहीं किया गया हो, सत्य यह है कि मूल निगरानी में अध्यक्ष महोदय द्वारा निराकृत की गई एवं आवेदक द्वारा उक्त आदेश का पालन करने में लापरवाही की गई है जिस पर अनावेदक द्वारा अध्यक्ष महोदय के न्यायालय में अवमानना का प्रकरण कमांक विविध 1359–अध्यक्ष/2002 प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 4.8.2002 को अग्रिम कार्यवाही हेतु

ग्राह्य की गई उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूर्व सदस्य महोदय की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु अंतरित की गई । आवेदक द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन समय वाधित होने के कारण म्याद अधिनियम के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं है, एवं आवेदन में भी संहिता एवं विधि के अनुरूप कोई प्रश्न विशेष उठाने में असमर्थ रहा है। प्रकरण उपलब्ध अभिलेख अनुसार सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा आवेदक को सुनवाई का संपूर्ण एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 13.5.2003 को सपष्ट एवं न्याय संगत आदेश पारित किया गया है जो कि किसी भी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः पुनर्विलोकन आवेदन विधि विपरीत एवं समय वाधित होने से पोषणीय न होते हुये विचार योग्य नहीं है । अतः प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य

RB